राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्र.2/कलिभ/MISमैनेजर/2018/1485 जयपुर दिनांक: 2.4.18

परिपत्र

कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में जारी विज्ञप्ति में वर्णित पदों में एम.आई.एस. मैनेजर का पद सम्मलित नही होने के कारण मनरेगा योजना अन्तर्गत एम.आई.एस. मैनेजर के पद पर संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंकों का लाभ देय नही है। उक्त प्रावधान से व्यथित होकर कई कनिष्ठ लिपिक अभ्यर्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण में गये एवं विभिन्न याचिकाऐं दायर की गई जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थियों के पक्ष में निर्णय पारित कर उन्हें बोनस अंकों का लाभ देयता रखते हुये अन्यथा पात्र होने पर कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दिये जाने के निर्देश प्रदान किये, इस संबंध में विभिन्न जिला परिषदों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इसी क्रम में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10519/2017 रामनिवास बनाम राज0 राज्य व अन्य एवं एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10923/2017 खुशाल सिंह भायल बनाम राज. राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1111/2017 अमृता गडरी बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित इकजाई निर्णय दिनांक 08.02.2018 को स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 में विचारार्थ रखा गया। स्थाई समिति द्वारा प्रकरण में गहनता से विचार–विमर्श कर उल्लेख किया कि याचिकार्थियों ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में आवेदन किया। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में विभागीय स्कीम में निश्चित पदों पर कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक प्रदान किये गये लेकिन उक्त पदों में एम.आई.एस.मैनेजर का पद सम्मिलित नही होने के कारण प्रार्थियों को बोनस अंकों का लाभ नही दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थियों द्वारा उक्त रिट याचिकाऐं प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से बोनस अंक देने का अनुतोष चाहा है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2018 में निर्देश दिये है कि "Learned counsel for the respondents is not in a position to refute that the petitioners who have experience of MIS is not under MNAREGA which is under the Department of Rural Development and Panchayati Raj in the State. Learned counsel for the respondents specifically avers that the post of MIS shall not be mentioned in the advertisement, however, the later part of the proviso which generalize the schemes including the MNAREGA under the Panchayati Raj Department could not be explained by the counsel for the respondent. After hearing counsel for the parties and perusing the

record of the case, this Court is of the opinion that Rule 273 has a wide connotation and particularly the proviso has an express legislative intention of providing weightage to be experience gained from MNAREGA or any other scheme of the Department of Rural and Panchayati Raj in the State and since the petitioners are under one of those schemes i.e. MIS, and the petitioners have experience of the post of MIS which is obviously under the same nomenclature, therefore, the writ petitions are allowed and the respondents are directed to consider the case of the petitioners for their appointment within a period of 30 days from today by granting them appropriate weightage, if they are otherwise found eligible and qualified on their own merits. Any order prejudicial to the claim of the petitioners regarding consideration for grant of MIS Bonus marks shall not come in way of their appointment." स्थाई समिति द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार–विमर्श के उपरान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपके जिले में इस प्रकार के अन्य समान प्रकरणों जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत एम.आई.एस. मैनेजर के पद पर संविदा पर कार्य किया है एवं उन्होनें कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में आवेदन किया है, को बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर, यदि वे अन्यथा पात्र है, को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

2/4/18

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,ग्राविपंराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस बाबत प्रकरण में प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी नियुक्त हो तो उन्हें अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करें।
6. रक्षित पत्रावली।
7. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव